कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मुलेअ/निजी/2019–20 दिनांक :– 02-08-2019

परिपत्र

पिछले दिनों में विभाग के अधिनस्थ कार्यालयों श्रीगंगानगर एवं चितलवाना (जालोर) में कार्यरत कार्मिकों/प्रतिनियुक्त स्टाफ द्वारा राजकीय रिकॉर्ड में हेराफेरी/कम्प्यूटर डाटा में हेराफेरी द्वारा राजकीय धनराशि के गबन के प्रकरण सामने आए है जिसकी विभाग द्वारा विशेष ऑडिट/जॉच करवाई जा रही है। अतः ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए विभाग के अधिनस्थ संयुक्त निदेशक कार्यालयों/जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालयों/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों एवं विद्यालयों में आहरण एवं वितरण अधिकारियों को वित्तीय अनुशासन सुदृढ़ करने के लिए निम्न निर्देश जारी किए जाते है :–

1. आहरण एवं वितरण अधिकारियों के द्वारा अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड को अपने पास ही सुरक्षित रखे तथा समय–समय पर पासवर्ड में बदलाव अवश्य करे एवं नियमित रूप से कोषालयों को भेजे जाने वाले बिलों का विवरण स्वयं भी कम्प्यूटर डाटा से मिलान करते रहे ताकि अधिकारों का दुरूपयोग ना हो।
2. प्रतिमाह समस्त मदों पर हुए व्यय का कार्यालय अभिलेख से मिलान कर प्रमाणन किया जावे। प्रमाणन का कार्य बिल क्लर्क/रोकड़पाल के अलावा किसी अन्य व्यक्ति से करवाकर प्रमाण–पत्र अभिलेख में सुरक्षित रखा जावे।
3. राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र/निर्देशों की पालना में एक ही सीट पर लम्बे समय तक कोई कार्मिक कार्यरत नहीं रहे इसके लिए लेखा लिपिक/स्टोरकीपर/रोकड़पाल कार्मिकों का बदलाव करते रहे।
4. जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अपने अधिनस्थ क्षेत्राधिकार के विद्यालयों का वर्ष में कम से कम एक बार उपलब्ध लेखाकर्मी/विज्ञ कार्मिक से बिल, वाउचर, कैश बुक आदि की जॉच करवाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गबन सम्बन्धी कोई प्रकरण नही है। संयुक्त निदेशक अपने क्षेत्राधिकारी के समस्त जिला शिक्षा अधिकारी/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों का वर्ष में कम से कम एक बार उनके लेखाकर्मी/विज्ञ कार्मिक से परस्पर बिल, वाउचर, कैश बुक आदि की जॉच करवाकर यह सुनिश्चित किया जावे कि गबन सम्बन्धी कोई प्रकरण नही है।
5. यह सुनिश्चित करे कि सरकार को देय समस्त राशियॉ नियमित एवं तुरन्त रूप से वसूल की जाती है एवं उनका समुचित लेखांकन किया जाता है तथा निर्धारित समय में राशि चालान द्वारा जमा करवाई जा रही है।
6. माह के अन्त में नकद भौतिक शेषों का सत्यापन किया जावे तथा समय–समय पर नकद शेषों की आकस्मिक जॉच भी की जावे।
7. यह सुनिश्चित किया जावे कि कोषागार को भेजे जाने वाले विपत्रों का बिल प्रेषण पंजिका में उचित संधारण किया जा रहा है।
8. यह सुनिश्चित करें कि नकद एवं भण्डार को सम्भालने वाले कार्मिकों से समुचित प्रतिभूति प्राप्त कर ली गई है।
9. किसी कार्यालय में सार्वजनिक राशि का दुर्विनियोग, कपटपूर्ण आहरण/भुगतान या अन्य किसी प्रकार से कोई हानि हुई है तो उसकी सूचना सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अपने से ठीक वरिष्ठ अधिकारी को तथा साथ ही महालेखाकार को तुरन्त सूचित किया जाना चाहिए।
10. प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से समझ ले कि उसकी ओर से किए गए कपट या उपेक्षा के कारण सरकार को जो हानि होगी उसके लिए वह व्यक्तिशः जिम्मेदार होगा।

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों में वर्णित नियमों की पालना सुनिश्चित करें ताकि सार्वजनिक राशि का दुर्विनियोग, गबन/हानि आदि को रोका जा सके।

मुख्य लेखाधिकारी
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य/मुलेअ/निजी/2019–20 दिनांक :– 02-08-2019

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ :–

1. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर।
2. उप निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, कार्यालय हाजा
3. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (संभाग कार्यालय) शिक्षा विभाग
4. सिस्टम एनालिस्ट (सं.नि.), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर जारी करने हेतु।
5. निदेशक, एसआईईआरटी, उदयपुर।
6. मुख्य लेखाधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा विभाग
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), माध्यमिक शिक्षा
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, ...।
10. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ...।
11. स्टाफ ऑफिसर, निजी अनुभाग (निदेशक महोदय), प्रारम्भिक/माध्यमिक।
12. वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा प्रकाशन, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशन हेतु।
13. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर/अजमेर
14. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
15. प्रबन्धक, गुरूनानक संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर
16. प्रधानाचार्य, राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
17. प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक, मूक बधिर अंध विद्यालय, अजमेर/जयपुर/बीकानेर/उदयपुर/जोधपुर
18. प्रधानाचार्य, प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय, उदयपुर
19. उप निदेशक (समाज शिक्षा), बीकानेर
20. रक्षित पत्रावली।

वित्तीय सलाहकार,
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर